

20/11/24  
19.2.2025

2024/765

**फर्द अहकाम**  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
अन्जु आदि बनाम भवानीशंकर  
मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 194 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03.12.2024	<p>प्रार्थीगण अन्जु आदि की तरफ से वकील श्री अनिल सिहाग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक नम्बर 29 डी.डब्ल्यू.डी के प.न. 112/60(6) कि.न. 16 ता 20, 21/2 ता 25/2 व प.न. 112/61(13) कि.न. 1 ता 10, प.नं. 132/4(7) कि.नं. 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 कुल 8.655 है. भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 03.01.2024 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>3-1-2025</p> <p>वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र सिवाब पेसी पेश करने पर प्रजावनी को पेसी में निपा गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि राजीनामा होने के साथ प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में जारी बहस करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र मौजूदा स्थिति में जारी निपा जाता है। प्रजावनी नम्बर से कम की प्रजावली तारीख तब तक जारी नहीं जाया जा सकता है।</p>	
19.2.2025	<p>राजीनामा होने के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाने के अन्त में प्रजावनी नम्बर से कम की प्रजावली तारीख तब तक जारी नहीं जाया जा सकता है।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>राजीनामा होने के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाने के अन्त में प्रजावनी नम्बर से कम की प्रजावली तारीख तब तक जारी नहीं जाया जा सकता है।</p> <p>19/2/2025</p>